

न्यायालय :-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पंचम्
व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

S.T.-172/2008
C.I.S.-2268/2013

02/11/2023 एकमात्र अभियुक्त विश्वजीत मेहता अनुपस्थित।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वाद अभियुक्त सुजीत कुमार के उपस्थिति हेतु लम्बित चल रहा हैं। अभियुक्त विश्वजीत मेहता के विरुद्ध दिनांक 23/03/2022 को N.B.W, दिनांक 18/09/2023 को धारा-82 द0प्र0स0 एवं धारा-83 द0प्र0स0 निर्गत किया गया है, परन्तु आज तक न अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुए न ही उनके विरुद्ध निर्गत N.B.W एवं धारा- 82, 83 द0प्र0स0 का तामिला न्यायालय को प्राप्त कराया गया है। न ही निकट भविष्य में अभियुक्त विश्वजीत मेहता का उपस्थिति सम्भव प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त विश्वजीत मेहता को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय फरार अभियुक्त विश्वजीत मेहता के विरुद्ध स्थाई वारण्ट निर्गत करें।

चुँकि वाद केवल अभियुक्त विश्वजीत मेहता के विरुद्ध लंबित है। अतः वाद का निष्पादन किया जाता है। कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

ह0/-

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-V
मधेपुरा।